न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

वईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 47/2021
दायर दिनांक :– 07.07.2021

अनवान

श्री कृष्णगोपाल पिता स्व. देबीलाल धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
वादी..........

बनाम

1. श्री जगदीश पिता हजारी धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री घीसू पिता गोरू धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री कैलाश पिता छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
4. श्री महावीर पिता छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
5. श्री शंकर पिता छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
6. श्री खन्नीराम पिता छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
7. श्रीमति शान्ति पिता छगना हजारी धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
8. श्रीमति गलकू पत्नि छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
9. श्री सकराम पिता गोरू धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
10. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री जगदीश चन्द्र धाकड, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 16.03.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम सियाणा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 700, 843, 861 कुल किता 3 रकबा 9.18 बीघा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 एंव स्व. देबीलाल एवं स्व. मोहन लाल के खाते में दर्ज है। देबीलाल दिनांक 14.11.2020 को फोत हो चुके है जिसके विधिक वारीसान वादी है। एंव मोहनलाल नाऔलाद फोत हो चुका है एवं उसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 है। ग्राम सियाणा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 45/1, 59/2, 695, 855/2, 879, 880, 975, 980, 988, 990, 992, 998 कुल किता 12 रकबा 24.03 बीघा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 एवं स्व. देबीलाल एंव स्व. मोहन लाल के खाते में दर्ज है। देबीलाल दिनांक 14.11.2020 को फोत हो चुके है जिसके विधिक वारीसान वादी है। एवं मोहनलाल नाऔलाद फौत हो चुका है। एवं उसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 है। ग्राम सियाणा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 977 कुल किता 1 रकबा 2.19 बीघा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 9 एवं स्व. देबीलाल एंव स्व. मोहन लाल के खाते में दर्ज है। देबीलाल दिनांक 14.11.

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

2020 को फोत हो चुके है जिसके विधिक वारीसान वादी है। एवं मोहनलाल नाऔलाद फौत हो चुका है। एवं उसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 है। ग्राम सरसिया चारणान प. ह. भरणीकलां की आराजी नं. 5/3 रकबा 7.10 बीघा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 एवं स्व. देबीलाल एंव स्व. मोहन लाल के खाते में दर्ज है। देबीलाल दिनांक 14.11.2020 को फोत हो चुके है जिसके विधिक वारीसान वादी है। एवं मोहनलाल नाऔलाद फौत हो चुका है। एवं उसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 है। ग्राम सरसिया चारणान प. ह. भरणीकलां की आराजी नं. 5/14, 5/17 कुल किता 2 रकबा 10.00 बीघा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 एवं स्व. मोहन लाल के खाते में दर्ज है। मोहनलाल नाऔलाद फौत हो चुका है। है एवं उसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 है। वाद पत्र की चरण सं. 1 से 5 में वर्णित भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में वादी के पिता स्वं. देबीलाल एवं वादी के काका स्व. मोहनलाल एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हैं वादी के पिता देबीलाल की मृत्यु 14.11.2020 को होने के पश्चात उनका विधिक उत्तराधिकारी एक मात्र वादी हैं एवं दिनांक 19.03.2020 को वादी के काका मोहनलाल नाऔलाद फोत होने के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी एक मात्र वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 है। उक्त आराजी में मोहनलाल की मृत्यु उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 बराबर बराबर हक हिस्से पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं परन्तु प्रतिवादी सं. 1 के मन में फितुर आ जाने व स्व. मोहन लाल की समरथ जायदाद को हडपने की नियत से राजस्व अधिकारी से मिलीभगत कर स्व. मोहनलाल की सम्पुर्ण कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता हैं जबकि स्व. मोहनलाल की मृत्यु नाऔलाद होने से उसके विधिक उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 हैं इस कारण वादी को स्व. मोहनलाल की विवादित कृषि भूमि के 1/2 हक हिस्से के लिये एवं प्रतिवादी सं. 1 को शेष 1/2 हक हिस्से के लिये खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिये चरण सं. 1 से 5 में वर्णित कृषि भूमि में स्व. मोहनलाल के हक व हिस्से में वादी को 1/2 हक व हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 1 को शेष 1/2 हक हिस्से के लिये खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी तथा बाद घोषणा प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्ण कब्जे कास्त में किसी प्रकार का दखल न करे न अपने नोकर ऐजेन्ट रिश्तेदारों से करावे की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की प्रति, एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी कृष्णगोपाल पी. डब्ल्यु 1, कैलाश चन्द्र धाकड पी. डब्ल्यु 2, बरदी देवी धाकड पी. डब्ल्यु 3, प्रमोद धाकड पी. डब्ल्यु 4 के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में वादी के पिता स्वं. देबीलाल एवं वादी के काका स्व. मोहनलाल एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हैं वादी के पिता की मृत्यु होने के पश्चात उनका विधिक उत्तराधिकारी एक मात्र वादी हैं एवं वादी के काका मोहनलाल नाऔलाद फोत होने के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी एक मात्र वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 है। इस कारण वादी को स्व. मोहनलाल के हक व हिस्से में वादी को 1/2 हक व हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 1 को शेष 1/2 हक हिस्से के लिये खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वाद अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के काका मोहनलाल नाऔलाद फोत

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

होने के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी एक मात्र वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 है। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत सजरा एवं कराये गये बयानो से होती है। स्व. मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर चरण सं. 1 से 5 में वर्णित कृषि भूमि में स्व. मोहनलाल के हक व हिस्से के स्थान पर वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने का अधिकार रखता है। अतः न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम सियाणा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 700, 843, 861 कुल किता 3 रकबा 9.18 बीघा, आराजी नं. 45/1, 59/2, 695, 855/2, 879, 880, 975, 980, 988, 990, 992, 998 कुल किता 12 रकबा 24.03 बीघा, आराजी नं. 977 कुल किता 1 रकबा 2.19 बीघा, ग्राम सरसिया चारणान प. ह. भरणीकलां की आराजी नं. 5/3 रकबा 7.10 बीघा, आराजी नं. 5/14, 5/17 कुल किता 2 रकबा 10.00 बीघा भुमि में स्व. मोहनलाल पिता रामकरण धाकड के हक व हिस्से के स्थान पर वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)

इजलास अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाड़ा)
व ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

श्री कृष्णगोपाल पिता स्व. देवीलाल धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
वादी..........

बनाम

1. श्री जगदीश पिता हजारी धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री घीसू पिता गोरू धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री कैलाश पिता छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
4. श्री महावीर पिता छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
5. श्री शंकर पिता छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
6. श्री खन्नीराम पिता छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
7. श्रीमति शान्ति पिता छगना हजारी धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
8. श्रीमति गलकू पत्नि छगना धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
9. श्री सकराम पिता गोरू धाकड नि. भगवानपुरा तह. जहाजपुर
10. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

दावा बाबत – 88, 89, 92ए, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 47 /2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री जगदीश चन्द धाकड का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः ग्राम रियाणा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 700, 843, 861 कुल किता 3 रकबा 9.18 बीघा, आराजी नं. 45/1, 59/2, 695, 855/2, 879, 880, 975, 980, 988, 990, 992, 998 कुल किता 12 रकबा 24.03 बीघा, आराजी नं. 977 कुल किता 1 रकबा 2.19 बीघा, ग्राम सरसिया चारणान प. ह. भरणीकलां की आराजी नं. 5/3 रकबा 7.10 बीघा, आराजी नं. 5/14, 5/17 कुल किता 2 रकबा 10.00 बीघा भुमि में स्व. मोहनलाल पिता रामकरण धाकड के हक व हिस्से के स्थान पर वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.03.2022

मुहर

Dv

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner